न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया RAS

राजस्व अपील संख्या 14/2025

अपीलाट्स :–

1. बद्रीनारायण पुत्र भगवानचंद,
2. अशोक कुमार पुत्र भगवानचंद जातियान ब्राह्मण निवासी खाराबेरा पुरोहितान तहसील लूणी जिला जोधपुर।

ब ना म

रेस्पोडेन्ट्स : –

1. देवी बाई पुत्री प्रतापचंद जाति ब्राहम्ण निवासी, महामन्दिर तीसरी पोल, जोधपुर।
2. विधा देवी पुत्री प्रतापचंद, जाति ब्राहम्ण, निवासी वेद्भवन के पास, फलोदी जिला फलोदी।
3. भगवानचंद पुत्र प्रतापचंद, जाति ब्राहम्ण, निवासी रोहट जिला पाली।
4. स्व. भगवती देवी पुत्री प्रतापचंद के कायम मुकाम : –
   4/1. नन्द किशोर पुत्र नारायणदत,
   4/2 कैलाश पुत्र नारायणदत,
   4/3 अरविन्द पुत्र नारायणदत,
   4/4 श्रीमती सरोज पुत्री नारायणदत,
   4/5 गुड्डी पुत्री नारायणदत, सभी जातियान ब्राहमण, निवासीगण हाईकॉर्ट कॉलोनी रातानाड़ा जोधपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) लूणी, जिला जोधपुर।
6. सरपंच, ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान तहसील लूणी जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान द्वारा स्वीकृत म्युटेशन नंबर 669 दिनांक 20.11.2006 को निरस्त करने बाबत्।

——

उपस्थिति : –

1. अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता – करण सिंह व हनुमान सिंह
2. रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2, 4/1 व 4/3 की ओर से अधिवक्ता राकेश जांगिड़

दिनांक –03-9-2025

– : निर्णय : –

अपीलांट्स द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 669 दिनांक 20.11.2006 ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान तहसील लुनी, जिला जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया के विरूद्ध पेश गई। अपीलान्टस के दादा स्व. श्री प्रतापचंद दवे पुत्र तेजाराम दवे, जाति ब्राहमण, निवासी रोहट, जिला पाली की

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

सह खातेदारी की स्वअर्जित कृषि भूमि ग्राम खाराबेरा पुरोहितान तहसील लूणी, के खसरा सख्या 433 रकबा 14 बीघा 9 बिस्वा स्थित हैं। स्व. प्रताचंद दवे की मृत्यु उपरांत ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये हुए फोतोदगी म्युटेशन संख्या सख्या 669 दिनांक 20.11.2006 को स्वीकृत कर उसके वारिसानों का नाम दर्ज किया गया। रेस्पोडेंटस का उक्त कृत्य मनमानापूर्ण विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण, उक्त म्युटेशन सख्या 669 को निरस्त किया जाना कानूनन आवश्यक एंव विधि सम्मत है। अपीलान्टस के दादा स्व. श्री प्रतापचंद दवे अपने जीवन काल में उपरोक्त वादग्रस्त जायदाद ग्राम खाराबेरा पुरोहितान, पटवार हल्का खाराबेरा पुरोहितान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा सख्या 433 रकबा 14 बीघा 9 बिस्वा का 1/2 हक हिस्सा रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा 10 बिस्वांशी अपीलान्टस बद्रीनारायण पुत्र भगवानचंद को रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा 10 बिस्वांशी व अशोक पुत्र भगवानचदं को रकबा 3 बीघा।। बिस्वा के हक में दिनांक 14.03.1997 को वसीयतनामा निष्पादित किया गया, जो आज दिनांक भी प्रभाव में हैं। अतः अपील अपीलांट्स द्वारा पेश कर ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर द्वारा स्वीकृत म्युटेशन न. 669 आदेश दिनांक 20.11.2006 को निरस्त किया जाकर अपीलान्टस के दादा स्व. प्रतापचंद दवे द्वारा अपीलान्टस के हक में निष्पादित की गई वसीयत अनुसार फोतेदगी म्युटेशन अपीलान्ट के नाम से अमल दरामद कर म्युटेशन अपीलान्टस के नाम से विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया है। अपीलांट्स द्वारा अपील के संलग्न धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर वसीयत की जानकारी पहले नहीं होने से अपील अन्दर म्याद सुमार किये जाने का निवेदन किया है।

अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर इसे पंजीबद्ध की जाकर अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किये जाने पर एक पक्षीय बहस सुनी जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 07.05.2025 को जारी की गई। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड एडी भेजे जाकर तलब किया गया, जिनकी तामिली नियमानुसार प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2, 4/1, व 4/3 की ओर से अधिवक्ता राकेश जांगिड़ द्वारा वकालतनामा तथा जवाब पेश करने पर शामिल पत्रावली किया गया। शेष रेस्पोडेन्ट्सगण द्वारा अपील के संबंध में कोई जवाब पेश नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने जवाब में कथन किया किया अपीलान्ट्स द्वारा अपने दादा स्व. प्रतापचन्द दवे अपने जीवनकाल में उपरोक्त वादग्रस्त जायदाद ग्राम खाराबेरा पुरोहितान अपीलान्ट्स के हक में मेरे पिताजी स्व. प्रतापचन्द द्वारा रूबरू गवाहन के मध्य स्टाम्प पर नोटेरीसुदा निष्पादित वसीयतनामा सही है तथा अपने जीवनकाल में निष्पादित वसीयतनामा अनुसार नामान्तरकरण अमल दरामद किया जाना न्यायोचित था। जिसे हम रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2, 4/1 व 4/3 स्वीकार करते है। स्व. श्री प्रतापचंद दवे का देहान्त पर फौतेदगी म्युटेशन वसीयतनामा के आधार पर किया जाना था लेकिन ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान द्वारा उक्त म्युटेशन स्वीकार किया गया जो काबिले खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्टगण खसरा संख्या 433 के खातेदार नहीं है न ही प्रभावित व्यक्ति है तथा उनके हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी पक्षकार ने वसीयतनामा को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया है। अपीलान्ट्स की अपील म्याद बाहर है इस हेतु देरी को माफ करने के संबंध में कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया है। अपीलाधीन म्युटेशन समुचित जांच एवं विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जाकर स्वीकृत किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की प्रक्रियात्मक एवं वैधानिक त्रुटी नहीं है। अतः रेस्पोडेन्टगण द्वारा जवाब पेश कर अपील अपीलान्ट्स खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

हमने पत्रावली का विस्तृत अवलोकन किया गया। बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक किया गया। अपीलांट्स के विद्धान अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मिमों मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन म्युटेशन विधि विरूद्ध तरिके से स्वीकृत किया गया है, जिसे खारिज किया जाना कानूनन न्यायोचित एवं विधि संगत है। उन्होने यह भी कहा कि अपीलान्ट्स आज दिन भी उक्त वसीयतनामा के आधार पर अपना हक, हिस्सा निहित है और उपयोग–अपभोग भी बेरोकटोक करते आ रहे है जबकि रेस्पोडेन्ट्स अधिवक्ता द्वारा अपील म्याद बाहर होने, एवं अपीलाधीन म्युटेशन विधिवत् स्वीकृत होने से अपील अपीलांट्स की खारिज किये जाने का निवेदन किया है। चुंकि वादग्रस्त भूमि अपीलान्टस के दादा स्व. श्री प्रतापचंद दवे की सह खातेदारी की स्वअर्जित कृषि भूमि है। अपनी स्वर्जित संपत्ति को अपनी वसीयत के माध्यम से किसी भी व्यक्ति, चाहे वह उसका कानूनी उत्तराधिकारी हो या नहीं, को दे सकता है। वादग्रस्त भूमि के स्व. अर्जित होने का रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2, 4/1 व 4/3 द्वारा भी अपने जवाब में स्वीकार किया गया है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थनापत्र धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम का न्याय हित में स्वीकार किया जाकर अपीलांट्स की अपील अन्दर मियाद मानी जाती है। इस प्रकरण में यह एक तथ्यात्मक स्थिति है कि स्व. प्रतापचन्द दवे के स्वर्गवास होने के पश्चात उसके हिस्से की सहखातेदारी स्व अर्जित कृषि भूमि पर हक उनके जीवनकाल में उनके द्वारा निष्पादित वसीयतनामे के आधार अपीलांट्स के नाम वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाना था। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 669 ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान द्वारा दिनांक 20.11.2006 को पारित किया गया है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 669 को निरस्त किया जाता है। न्यायालय हाजा के अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश जारी दिनांक 07.05.2025 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार लुनी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि स्व. प्रतापचन्द दवे द्वारा अपीलांट्स के हक में निष्पादित वसीयत अनुसार विधिक प्रकिया अनुसार जांच कर नियमानुसार नामान्तरणकरण की कार्यवाही नये सिरे से एक माह के भीतर पूर्ण करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(पुखराज कंसोटिया)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लुनी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

निर्णय आज दिनांक 03-9-25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लुनी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी